

गतिशीलन (मोबिलाइजेशन)

कृषकों का ऐसा दृष्टिकोण परिवर्तन करना कि वे वाँक्षित प्रक्रिया में स्वतः भाग लेने हेतु तैयार हो जाएं।

गतिशीलन की अवधि

अधिकतम 03 माह

निर्वाचन की अधिसूचना
से पूर्व समाप्त होना

गतिशीलन कार्मिक

मुख्य गतिशीलक
(सींचपाल /
सींचपर्यवेक्षक)

वाह्य गतिशीलक
(सेवानिवृत्त
राजस्व कर्मी)

सहायक गतिशीलक
(ग्राम प्रधान द्वारा
नामित व्यक्ति)

मुख्य एवं वाह्य गतिशीलक का कार्यक्षेत्र

न्यूनतम 2 गाँव
प्रति माह

कुल अवधि
अधिकतम 03 माह

गतिशीलन की प्रक्रिया

1. ग्राम प्रधान एवं अन्य के साथ बैठक करना

2. ग्राम के छोटे समूहों के साथ बैठक करना

4. ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना

3. क्लस्टर जागरूकता एवं शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना

क्लस्टर कार्यक्रम जागरूकता एवं शिक्षण

04 क्लस्टर प्रति ग्राम
(न्यूनतम 50 कृषक
प्रति क्लस्टर)

3 कार्यक्रम प्रति
क्लस्टर कुल 12
कार्यक्रम प्रति
गतिशीलक

प्रत्येक कार्यक्रम की
अवधि 75 मिनट

क्लस्टर व्यय
रु० 250 प्रति क्लस्टर

गतिशीलको का मानदेय

मुख्य गतिशीलक
(रु० 300 प्रति
कार्यक्रम)

वाह्य गतिशीलक
(पिम निदेशक द्वारा
निर्धारित)

सहायक गतिशीलक
(रु० 2000 प्रति
गतिशीलक)

सहायक गतिशीलक की योग्यता

न्यूनतम
इण्टरमीडिएट
पास

स्नातक
को वरीयता

गणित / विज्ञान
विषय को
प्राथमिकता

आयु
25 से 50 वर्ष

वाह्य गतिशीलकों की संख्या का निर्धारण

(ग्राम की कुल संख्या) – मुख्य गतिशीलकों की संख्या

6

गतिशीलन का प्रशिक्षण

वाल्मी संस्थान में
प्रशिक्षण
(5 व्यक्ति प्रति खण्ड)

प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों
द्वारा खण्ड पर प्रशिक्षण
का आयोजन

प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं
उसकी गुणवत्ता की
सूचना निदेशक, पिम
को अधि०अभि० द्वारा

खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण

प्रतिभागी
(20—35)

प्रशिक्षको को मानदेय
(रु० 300 प्रति सत्र)

सत्र अवधि
75 मिनट

गतिशीलन कार्यो का अनुश्रवण

खण्ड स्तरीय

मण्डल स्तरीय

मुख्य अभियन्ता
स्तरीय

निदेशक (पिम)
स्तरीय

खण्ड स्तरीय अनुश्रवण

अनुश्रवण कर्ता
(जिलेदार एवं जू०इं०)

अनुश्रवणकर्ता को
कार्यक्षेत्र का निर्धारण

खण्ड स्तरीय अनुश्रवण

जिलेदार एवं जू०इं० द्वारा
पाक्षिक आख्या (कार्य का
सत्यापन सहित) पिम
प्रकोष्ठ को

पिम प्रकोष्ठ द्वारा
समेकित आख्या
अधिशाली अभियन्ता को

अधिशाली अभियन्ता एवं
सहायक अभियन्ता द्वारा
औचक निरीक्षण

मण्डल स्तरीय समीक्षा / अनुश्रवण

पिम प्रकोष्ठ सहायक अभियन्ता
एवं अधिशासी अभियन्ता के
साथ मासिक बैठक

बैठक का कार्यवृत्त मुख्य
अभियन्ताओं को सूचित करना

मुख्य अभियन्ता स्तरीय अनुश्रवण

मासिक समीक्षा बैठक
आयोजित करना

कार्यवृत्त निदेशक पिम को
उपलब्ध कराना

निदेशक (पिम) की समीक्षा

मासिक समीक्षा बैठक का
आयोजन

गतिशीलकों एवं सहायक गतिशीलकों को मानदेय का भुगतान

50 प्रतिशत धनराशि
क्लस्टर कार्यक्रम के
पश्चात्

क्लस्टर कार्यक्रम का
सत्यापन जिलेदार/जू0इं0
द्वारा होने के पश्चात्

(अवशेष 50 प्रतिशत)
न्यूनतम 75 प्रतिशत
नामांकन के पश्चात्

यात्रा भत्ता

मुख्य गतिशीलक

(सींचपाल / सींचपर्यवेक्षक)

रू० 1000 प्रति माह एकमुश्त

जिलेदार एवं जू०इं०

रू० 2000 प्रतिमाह एकमुश्त

धन्यवाद्